

धारा 61 : विवरणियों की संवीक्षा

- (1) समुचित अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणी और संबंधित विशिष्टियों की, विवरणी के सही होने का सत्यापन करने के लिए संवीक्षा कर सकेगा और ध्यान में आए फर्कों, यदि कोई हों, की ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में सूचना देगा तथा उनके संबंध में उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
- (2) स्पष्टीकरण के स्वीकार्य पाए जाने की दशा में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को तदनुसार सूचित किया जाएगा और इस संबंध में कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- (3) समुचित अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने की तीस दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि, जो उसके द्वारा अनुज्ञात की जाए, में समाधानप्रद स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने की दशा में या जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति फर्क को स्वीकार करने के पश्चात् उस मास की विवरणी में, जिसमें फर्क स्वीकार किया गया था, सुधारकारी उपाय करने में असफल रहता है तो समुचित अधिकारी उपयुक्त कार्रवाई आरंभ कर सकेगा, जिसके अंतर्गत धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 के अधीन कार्रवाईयां हैं या वह धारा 73 या धारा 74 ¹[या धारा 74क] के अधीन कर और अन्य शोध्यों का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा।

उपयुक्त नियम: नियम 99

उपयुक्त प्रारूप: जीएसटी एएसएमटी-10, जीएसटी एएसएमटी-11, जीएसटी एएसएमटी-12

¹ वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।